

15-11-2)

पत्रावली पेश हुई। बार-बार आवाज दिलाई गई न अपीलान्त और न अधिवक्ता अपील उपस्थित हुआ। अतः पत्रावली अदव एजरी, अदम पैरवी में श्वारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार लेकर नम्बर से कम की जाये। बाद जाफ़ा दाखिल यफ़लर हो।

संयोजक अधिकारी
पतेन
संयोजक अफ़ी न दाखिलान्त
संयोजक संय-संयोजक